

राजस्व आवेदन संख्या 250/2025  
ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश बनाम लेखाराम वगैरा  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :-

250/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2025/378

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

- 1.ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश पुत्र भंवराराम
  - 2.आम्बाराम पुत्र भंवराराम
  - 3.दूदाराम पुत्र भंवराराम
  - 4.केसीदेवी बेवा भंवराराम
- जाति मेघवाल निवासी जसोल  
तहसील पचपदराजिला बालोतरा

- 1.लेखाराम पुत्र चौथाराम
  - 2.राहुल सेजु पुत्र नाथूराम
  - 3.ढलाराम पुत्र करनाराम
- जाति मेघवाल निवासी जसोल  
तहसील पचपदराजिला बालोतरा
- 4.रणछोड़राम पुत्र बीजाराम
- जाति मेघवाल निवासी जसोल  
हाल मेवानगर तहसील पचपदरा
- 5.जड़ाव देवी पत्नी जामाराम
  - 6.दूदाराम पुत्र हस्ताराम
  - 7.धनाराम पुत्र जामाराम
  - 8.मेलादेवी पत्नी धनाराम
- जाति मेघवाल निवासी जसोल  
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
- 9.मोहित सोलंकी पुत्र मांगीलाल
- जाति सरगरा निवासी नाईयों का वास  
जसोल तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
- 10.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
- पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.श्री सांवलराम मेघवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण
- 2.विप्रार्थी संख्या 09 उपस्थित।
- 3.विप्रार्थी संख्या 1 से 8 व 10 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा



## आदेश

दिनांक 17/10/2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1632/294 क्षेत्रफल 0.3561 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1632/294 क्षेत्रफल 0.3561 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 09 स्वयं उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 8 व 10 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता व विप्रार्थी संख्या 09 की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1632/294 क्षेत्रफल 0.3561 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1632/294 क्षेत्रफल 0.3561 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4. विप्रार्थी संख्या 09 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने पर आपति नहीं है।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1632/294 क्षेत्रफल 0.3561 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण प्रथम द्विष्यता हकदार प्रतीत होते हैं। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.6.2025 की प्रमाणित प्रति अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1632/294 क्षेत्रफल 0.3561 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।

(अशोक कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी 17/10/25  
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 17/10/25 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 17/10/25  
बालोतरा

